

313
23

2023/757

कार्यालय तहसीलदार (मू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

दिनांक- 8/6/2023

क्रमांक- मू.अ./2023/07

प्रति,


श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री श.सच्चन्ड पिता धीरू पिता गिण्ड
पह गिण्ड के राजस्थान ग्राम _____ में जमावन्दी संवत् 2078-81

की खाता संख्या 757/29 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व मू.अ.नि.
ने सम्मानजनक जाति/नाम श.सच्चन्ड किये जाने की रिपोर्ट की है।
सम्मानजनक जाति/नाम श.सच्चन्ड का अलग राजस्थान रिपोर्ट में किया जा
सकता है। येना जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति
अथवा क ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की रिपोर्ट में राज. कश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 22
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।


तहसीलदार
चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

दिनांक- 9/6/2023

क्रमांक- सं.अ./2023/89

प्रति,


पटवार हल्का गिण्ड

विषय- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने संबंधित।


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री श.सच्चन्ड पिता धीरू
राजस्थान ग्राम गिण्ड पह गिण्ड की खाता संख्या 757/29 में
जाति/नाम श.स दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व
पटवार पह व मू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री श.सच्चन्ड पिता धीरू
जाति/नाम श.सच्चन्ड एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित ट
करने की स्वीकृत एतद द्वारा दी जाती है। पह गिण्ड राजस्थान रिपोर्ट
अनुसूचितानुसार अगले की फालना पेश करें।


उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

। प्रतिलिपि-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करें।


उपखण्ड अधिकारी,
चित्तौडगढ